राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 56/2022 अपील

काना आत्मज बालू जाट, बनाम निवासी–खेड़लिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाडा	1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा 2. बद्री आत्मज हजारी जाट, निवासी–खेडलिया तहसील भीलवाड़ा 3. बाली पत्नि उगमा जाट, निवासी–खेडलिया भीलवाड़ा 4. बालू जाट (मृतक) के बजाय – 4/1 हरिशंकर पुत्र बालू जाट निवासी खेडलिया तहसील भीलवाडा 4/2 देवालाल पुत्र बालू जाट निवासी खेड़लिया तहसील भीलवाडा 4/3 श्रीमती सन्नू पुत्री बालू जाट निवासी खेडलिया तहसील भीलवाडा 4/4 श्रीमती बिल्लु पत्नी बालू जाट निवासी खेडलिया तहसील भीलवाडा
–अपीलार्थी	–रेस्पोडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेंसी एक्ट विरूद्व निर्णय तहसीलदार बनेडा ग्राम खेडलिया कमांक/राजस्व/भूमि समर्पण/प्र.सं. 142/2018/दिनांकित 04.06.2018

उपस्थित –

1. श्री राकेश जैन, संजय सेन अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. विपक्षीगण संख्या 02 से 04 बावजूद सूचना के अनुपस्थित
3. विपक्षी संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित

निर्णय

दिनांक 13.02.2024

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेंसी एक्ट विरूद्व निर्णय तहसीलदार बनेडा ग्राम खेडलिया के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खेड़लिया तहसील भीलवाड़ा में अपीलार्थी की आराजी नम्बर 764 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें से गलत तौर 09 बिस्वा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 ने मिलाभगती कर अपीलार्थी की जानकारी व सहमति के बिना धोखे से रास्ते हेतु समर्पित करवा दी एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना सत्यता की जाँच–पड़ताल किये आलौच्य निर्णय प्रतिपादित कर दिया जो कानून एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है। ग्राम खेड़लिया में अन्य आराजियात के साथ–साथ अपीलार्थी की खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 764 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें अपीलार्थी का हक–हिस्सा निहित

आलौच्य निर्णय प्रतिपादित किया, जो अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थी की आराजी नम्बर 764 में कभी भी कोई रास्ता आवागमन हेतु विद्यमान नहीं रहा है एव न ही है। उक्त आराजी में से होकर किसी कृषि भूमि में नहीं आया–जाया जाता है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच–पडताल किये ही उक्त आलौच्य निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की उक्त आराजी नम्बर 764 का रकबा मात्र 1 बीघा 10 बिस्वा है, उक्त आराजी में से 09 बिस्वा भूमि को रास्ते हेतु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में अगर उक्त आदेश की भौतिक अनुपालना की जाती है तो उक्त जोत का रकबा काफी छोटा हो जायेगा, उक्त जोत कृषि योग्य नहीं रह जायेगी, जिससे अपीलार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पडेगा, जिससे भी उक्त आलौच्य निर्णय अपास्त होने योग्य है। उक्त आलौच्य निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में भी नहीं आता है, उक्त समर्पित भूमि का उपयोग–उपभोग कौनसी आराजियात में आवागमन हेतु उपयोग किया जायेगा, ऐसा कोई अंकन भी उक्त निर्णय में नहीं है। उक्त निर्णय अस्पष्ट एवं मोगम होने से भी निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी ने दिनांक 11/07/2022 को उक्त विवादित भूमि के विभाजन बाबत् जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस निकलवाये तो जानकारी हुई कि उक्त आराजी में से रास्ते हेतु भूमि दर्ज कर दी गयी है, जिस पर अपीलार्थी ने जानकारी करवायी, तो अपीलार्थी को सर्वप्रथम उक्त आलौच्य निर्णय की जानकारी हुई, तब अपीलार्थी ने उक्त निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 13/07/2022 को नकलें प्राप्त हुई, जिससे यह अपील मिलने जानकारी एवं मिलने नकल निर्णय से अंदर अवधि में पेश है। विलम्बित अवधि को क्षम्य कराने हेतु धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र अलग से प्रस्तुत है। निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 04.06.2018 को अपास्त किया जाये।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 02 से 04 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। प्रकरण में अपीलाण्ट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर

जिला कलक्टर

जवाब/दस्तावेज/साक्ष्य आदि प्रस्तुत किये।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार उक्त प्रश्नगत आराजी के संदर्भ में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाना उचित ठहरता हैं कि प्रकरण में प्रश्नगत आराजियात के संबंध में अपीलार्थी की पूर्ण सुनवायी की जाकर, प्रश्नगत आराजी के संबंध में मौके की जांच की जाकर, विपक्षीगणों की स्वयं की आराजी में आने जाने हेतु पूर्व से ही कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने व नही होने की स्थिति की जांच की जाकर तद्नुसार नये सिरे से निर्णय पारित किया जावे। अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेंसी एक्ट के तहत आंशिक स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 142/2018 दिनांकित 04.06.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में प्रश्नगत आराजियात के संबंध में अपीलार्थी की पूर्ण सुनवायी की जाकर, प्रश्नगत आराजी के संबंध में मौके की जांच की जाकर, विपक्षीगणों की स्वयं की आराजी में आने जाने हेतु पूर्व से ही कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने व नही होने की स्थिति की जांच की जाकर तद्नुसार नये सिरे से निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)